संख्याः 1957/XXXVIII(1)/06–150–वि0प्रौ0/2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र,
हल्दी, पन्तनगर।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादून : दिनांक 14 मार्च 2007

विषयः सी.ई.एम.बी. भवन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी.इ.एम.बी. भवन के निर्माण हेतु उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण लि0 इकाई हल्द्वानी द्वारा प्रस्तुत रूपये 127.76 लाख के पुनरीक्षित आगंणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत रूपये 122.38 लाख के आगंणन की संस्तुति की है। उक्त संस्तुत पुनरीक्षित आंगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2003–04 में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निगम द्वारा प्रस्तुत रूपये 62.22 लाख के प्रारम्भिक आंगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 रूपये 58.90 लाख की संस्तुति की उक्त संस्तुति के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 31–3–2004 के द्वारा रूपये 58.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की तथा वित्तीय वर्ष 2004–05 में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत रूपये 116.73 लाख के पुनरीक्षित आंगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत रूपये 95.34 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2004–05 में शासनादेश दिनांक 30–3–2005 के द्वाराा रूपये 57.83 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार कुल टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत रूपये 93.45 लाख के सापेक्ष रूपये 116.75 लाख (58.90+57.83) की धनराशि अवमुक्त हो गयी जो टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि से रूपये 21.39 लाख अधिक है। उक्त धनराशि के समायोजन हेतु कार्यदायी संस्था ने अनुपूरक आंगणन प्रस्तुत किया जिसके सापेक्ष टी0ए0सी0 की संस्तुति के कम में रूपये 20.10 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, फिर भी निगम के पास रूपये 1.29 लाख की धनराशि अब भी अवशेष है। टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत नवीन पुनरीक्षित आंगणन रूपये 122.38 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 25.75 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

2– अतः उपरोक्त के कम में टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत पुनरीक्षित आंगणन रूपये 122.38 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 25.75 लाख (रूपये पच्चीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हों। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

5– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित निर्माण एजेंन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6– कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विषयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

7– कार्य करने के पूर्व किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

11– टी0ए0सी0 के निम्न बिन्दु 1 से 10 तक में दर्शायी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से अनुपालन कराया जाऐ।

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जायें।

(3)– कार्य का उतना ही व्यय किया जाये, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जायें।

(4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जायें तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जायें।

(9)– जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(10)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनदेश संख्या–2047.XI–219 (2006) दिनांक 30 मई–2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

13– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

14– उक्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से संबंधित बिलों को जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर के सम्मुख प्रस्तुत कर प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरांत कोषागार में जमा किया जाये।

15– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुदान संख्या–23 मुख्य लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 004–अनुसंधान तथा विकास, 04–गो0ब0पं0क0वि0वि0 पंतनगर में बायोटेक्नोलाजी पार्क की स्थापना के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के सुसंगत मानक मद संख्या–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0: 27/XXVII(5)/2007, दिनांकः 18–1–2007 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1957(1)/XXXVIII(1)/06–150–वि0प्रौ0/2005, तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमायूं मण्डल।
3– जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
5– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 ईकाई–हल्द्वानी को संशोधित आंगणन की प्रति सहित।
6– वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्व विद्यालय, हल्दी, पंतनगर।
6– वित्त अनुभाग–5
7– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9– निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
10– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।